<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-171/11 संस्थित दिनांक- 03.05.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

परमाल उर्फ बड्डे पुत्र नत्थू आदिवासी, उम्र 30 साल निवासी रोतियाना हाट का पुरा तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 18.08.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 के आरोप है कि उसने दिनांक 17.01.2011 को रात्रि 09:00 बजे राजन आदिवासी की दुकान के सामने बाहर शहर चंदेरी में लोक स्थान पर फरियादी गुलाब सिंह को मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी गुलाब सिंह को घातक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने दिनांक—17.01.2017 फरियादी अपनी ससुराल बाहर शहर चंदेरी में दवाई लेने गया, तो रात 9 बजे फरियादी राजन की दुकान बाहर शहर चंदेरी के सामने खडा था, तो परमाल आदिवासी पुराने झगडे की रंजिश पर से गुलाब सिंह को मादरचोद बहनचोद की बुरी—बुरी गालियां देने लगा। जब गुलाब ने गाली देने से मना किया तो बाये तरफ कूल्हें के सामने की ओर तथा लिंग पर चाकू मारे जो चोटें आकर खून निकल आया, मौके पर अमर सिंह ओर पर्वत थे जिन्होने घटना देखी। फरियादी गुलाब सिंह द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—17 / 11 अंतर्गत धारा—324, 323, 294 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण

पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.08.2017 को फरियादी गुलाब सिंह द्वारा अभियुक्त पर आरोपित धारा में शमन करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्रश्रस0 के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भादिव की धारा 294 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा—324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2011 को रात्रि 09:00 बजे राजन आदिवासी की दुकान के सामने बाहर शहर चंदेरी में फरियादी गुलाब सिंह को घातक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—3) सिंहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में अमर सिंह (अ०सा0—1) व पर्वत (अ०सा0—2) एवं राजकुमार (अ०सा0—4) व भैयालाल (अ०सा0—5) के कथन न्यायालय में कराए गये। फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसका अभियुक्त से पूर्व से पैसों के लेनदेन का विवाद था। अभियुक्त ने उससे कुछ पैसें उधार लिये थे जो वह वापस नहीं कर रहा था। फरियादी के अनुसार

घटना दिनांक को पांच—छः साल पहले जब वह राजन आदिवासी की दुकान पर खडा था, तो अभियुक्त के वहां पर आने पर उसने अपने पैसें अभियुक्त से मांगे थे जिस पर अभियुक्त ने उसे पैसें न देते हुये मां बहन की अश्लील गालिया दी थीं। फरियादी के अनुसार उनका आपस में बातावरण हो गया था, इसके अलावा और कोई घटना घटित नहीं हुयी।

- 07— फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथनों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, जिससे फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—1) के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन कि घटना दिनांक को राजन आदिवासी की दुकान पर उसका अभियुक्त से विवाद हुआ था, जिसमें अभियुक्त ने उसे मां बहन की गालिया दी थी, उसके संपूर्ण परीक्षण में अखण्डित है। घटना दिनांक को पूर्व के मनमुटाव के चलते अभियुक्त ने राजन आदिवासी की दुकान पर फरियादी को मां बहन की गालिया दी थी, इस संबंध में फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—1) के द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—पी 3 भी होती है, जिस पर फरियादी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 08— अतः फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—1) के उपरोक्त कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को राजन आदिवासी की दुकान के पास पूर्व के विवाद पर से अभियुक्त ने फरियादी को गालियां दी थी। गुलाब सिंह (अ०सा०—1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त के द्वारा मात्र गाली गलौच किया जाना बताता है तथा इस साक्षी का अभियोजन घटना के विरूद्ध यह कहना है कि इस घटना के अलावा उनके बीच और कुछ नही हुआ। जबिक अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त ने फरियादी को बायी तरफ कुल्हें के सामने और लिंग पर चाकू मारकर घटना में उपहित कारित की थी, जिसके संबंध में फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये।
- 09— घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी अमर सिंह (अ0सा0—1), पर्वत (अ0सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा इन दोनों ही साक्षियों ने घटना की जानकारी होने से ही इन्कार किया है। राजकुमार (अ0सा0—4) व भैयालाल (अ0सा0—5) के हालांकि घटना के अनुश्रुत साक्षी है परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने भी अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है। जबकि भैयालाल (अ0सा0—5) फरियादी

का ससुर है व राजकुमार (अ०सा0—3) साला है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अमर सिंह (अ०सा0—1), पर्वत (अ०सा0—2), राजकुमार (अ०सा0—4) व भैयालाल (अ०सा0—5) को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया, परन्तु सभी साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये तथा पुलिस को भी कोई कथन न देना बताया है। अतः इन साक्षियों के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता है।

- 10— अमर सिंह (अ०सा0—1), पर्वत (अ०सा0—2), राजकुमार (अ०सा0—4) व भैयालाल असा 5 के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने एवं पक्षविरोधी हो जाने के पश्चात् आरोपित अपराध के संबंध में एकमात्र फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—3) की साक्ष्य शेष रहा जाती है, परन्तु स्वयं फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—3) अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त के द्वारा मात्र गाली गलौच की जाने की घटना के संबंध में कथन देता है तथा इसके अलावा अन्य कोई घटना न होना बताता है जबकि फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—3) अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं घटना में आहत है।
- 11— फरियादी गुलाब सिह (अ०सा०—3) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे भी पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु उक्त परीक्षण में भी फरियादी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—3) का यह स्पष्ट कहना है कि मारपीट की कोई घटना नहीं हुई थी घटना में केवल मंहवाद हुआ था। फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा०—3) इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श—पी 3 की रिपार्ट एवं प्रदर्श—पी 4 के कथन लेख कराने से ही इन्कार करता है कि अभियुक्त ने उसे बाये कुल्हें पर व लिंग में चाकू मारा था।
- 12— गुलाब सिंह (अ०सा0—3) अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पृक्ष के सुझाव पर यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त ने उसे चाकू से उसे कोई चोट नही पहुचाई थी तथा घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। गुलाब सिह (अ०सा0—3) ने अपने परीक्षण में ही स्प्ट किया है कि उसे मोटरसाईकिल से गिरने से चोटें आई थी जो घटना के पूर्व की थीं। अतः फरियादी गुलाब सिंह (अ०सा0—1) का अभियोजन घटनाके विरूद्ध यह कहना है कि अभियुक्त ने उसके साथ चाकू से मारपीट कर कोई उपहति करित नहीं की तथा उसके शरीर पर मोटर

साइकिल से गिरने की चोटें थी, वहीं घटना के अन्य साक्षियों के द्वारा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करने पर आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई जो कि संभावतः दोनों पक्षों के मध्य हुये राजीनामें का परिणाम हो सकता है।

- 13— अतः फरियादी सिहत घटना के अन्य सिक्षयों के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण सिक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2011 को रात्रि 09:00 बजे राजन आदिवासी की दुकान के सामने बाहर शहर चंदेरी में फरियादी गुलाब सिंह को घातक धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 14—फलतः <u>अभियुक्त परमाल उर्फ बर्डे पुत्र नत्थू आदिवासी</u> के विरूद्धं भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 324 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15—अभियुक्त अभियुक्त परमाल उर्फ बड्डे पुत्र नत्थू आदिवासी की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)